उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-22/2013-14

गणेश रविदास वगै0

बनाम्

झारखण्ड सरकार वगै0

—: आदेश :—

दिनांक 14.12.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता गणेश रविदास, पे0—स्व0 फलंगी रविदास वो नवलकिशोर रविदास, पे0—स्व0 लालजी रविदास वो रामदास रविदास, पे0—स्व0 पांचू रविदास वो रामचन्द्र रविदास, पे0—स्व0 पवन रविदास वो राजेन्द्र रविदास, पे0—स्व0 रूपन रविदास वो विजय रविदास, पे0—स्व0 फकीर रविदास वो गौरी रविदास, पे0—स्व0 अगहन रविदास सा0—पचुआकिता, थाना—पथरगामा (बसंतराय), जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद नं0—109/2009—10 आदेश दिनांक—04.09.2012 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद नं0—109/2009—10 आदेश दिनांक—04.09.2012 के द्वारा नापी प्रतिवेदन को संचित करते हुए वाद को समाप्त किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा—पचुआकिता नं0—70 गैर मजरूआ खाता नं0—52 दाग नं0—274, 324 एवं 325 के जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0—744/70—71 आदेश दिनांक—06.10.1978 के द्वारा अपीलकर्त्तागण के पूर्वजों के साथ बंदोवस्ती की गई है एवं उक्त बंदोवस्त जमीन पर अपीलकर्त्ता के पूर्वज के समय से ही अपीलकर्त्तागण दखलकार हैं। अपीलकर्त्तागण के पूर्वजों के नाम से रेंट रोल निर्गत करने का आदेश भी पारित किया गया है। उसी जमीन को उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के सदस्य के द्वारा दिखाया गया कि उनलोंगो के नाम से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0—19/84—85 के द्वारा उक्त दाग नं0 की जमीन की बंदोवस्ती हुई है और उनलोगों ने बंदोवस्ती केश नं0—19/84—85 के अनुसार भूमि का सीमांकन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आवेदन दाखिल किया। उक्त

जमीन की नापी के लिए अमीन प्रतिनियुक्त किया गया। प्रतिनियुक्त अमीन के द्वारा स्थल पर जाँच किये बिना ही टेबुल पर बैठकर नापी प्रतिवेदन तैयार किया गया एवं उक्त नापी प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को सौंपा गया और उसी प्रतिवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संचित किया गया। जबकि नापी प्रतिवेदन के ट्रेस नक्शा के सिजूल ख की जमीन मनेश्वर ततवा को दिखाया गया है। मनेश्वर ततवा मौजा–पचुआकित्ता के रैयत ही नहीं है। ये बिहार के रहने वाले हैं। नापी प्रतिवेदन के सिजूल ख में भी 04–10–12 धुर जमीन दिखाया गया है, जबकि उक्त दाग नं0 में 04–10–12 धुर जमीन है ही नहीं। उक्त दाग नं0 की जमीन पूर्व से ही अपीलकर्त्ता के दखल कब्जा में चला आ रहा है एवं अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमीन का लगान रसीद भी कटाया जा रहा है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के राजस्व विविध वाद सं0–109/2009–10 आदेश दिनांक–04.09.2012 के द्वारा नापी प्रतिवेदन पर दिया गया आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया है।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–पचुआकित्ता दाग नं0–274 के अंदर रकवा 02–07–10 धुर, दाग नं0–324 के अंदर रकवा 00–17–02 धुर एवं दाग नं0–325 के अंदर रकवा 01–06–10 धुर जमीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–744/70–71 (भग्गु रविदास वगै0 बनाम् रैयान मौजा–पचुआकित्ता) के आदेश दिनांक–06.10.78 के द्वारा भग्गु रविदास एवं अन्य के साथ बंदोवस्ती की गई थी। उसमें से उत्तरवादी के पूर्वज भी थे। बंदोवस्तदार के बीच आपस में विवाद होने के कारण उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में बंदोवस्ती जमीन का नापी के लिए आवेदन दाखिल किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उक्त जमीन की नापी हेतु अमीन प्रतिनियुक्त किया गया। अमीन के द्वारा उक्त जमीन का सीमांकन कर नापी प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को समर्पित किया गया। उसी नापी प्रतिवेदन को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संचित किया गया है। किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

97

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 29/रे0मु0 दिनांक–18.01.2021 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–744/70–71 आदेश दिनांक–16.10.78 के द्वारा दाग नं0–274 में रकवा–01–01–05 धुर, दाग नं0–324 में 00–01–15 धुर एवं दाग नं0–325 में 03–08–02 धुर कुल 04–11–02 धुर जमीन बंदोबस्त किया गया है, जो निम्न प्रकार है :–

क्र0	नाम	पिता का नाम	दाग नं0	रकवा वी0–क0–धूर	कुल रकवा
1	भग्गु रविदास	शिवचु रविदास	274 324 325	00–04–15 00–01–15 00–02–13	00–09–03
2	अगहन रविदास	शिवचु रविदास	274 325 274	00–04–15 00–01–15 00–02–13	00–09–03
3	रामदास रविदास	पाँचु रविदास	325	00–09–02	00–09–02
4	लालजी रविदास	बुटाय रविदास	325	00–09–02	00–09–02
5	दलंगी रविदास	नथन रविदास	325	00–09–02	00–09–02
6	सुकदेव रविदास	शिवचु रविदास	274	00–09–02	00–09–02
7	वहित रविदास	डोमन रविदास	325	00–09–02	00–09–02
8	रामचरण रविदास	नथन रविदास	325	00–09–02	00–09–02
9	फकीर रविदास	रमलु रविदास	325	00–09–02	00–09–02
10	भगली रविदास	जुठन रविदास	325	00–09–02	00–09–02

पुनः बंदोवस्ती केश नं0–19/84–85 दिनांक–27.10.85 के द्वारा दाग नं0–274 के अंदर 00–13–02 धुर जमीन श्रवण ततवा, पे0 स्व0 नथन ततवा सा0–पचुआकित्ता के नाम से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा बंदोवस्त किया गया है। आगे प्रतिवेदित किया गया है कि गैर मजरूआ पर्चा से अधिक जमीन बंदोवस्त होने के कारण दोनों पक्षों में विवाद रहता है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने, अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा–पचुआकिता नं0–70 गैर मजरूआ खाता नं0–52 दाग नं0–274 कुल रकवा 00–04–10 धुर, दाग नं0–324 कुल रकवा 01–00–01 धुर एवं दाग नं0– 325 कुल रकवा 00–01–12 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में परती कदीम कहकर दर्ज है। बंदोवस्ती केश नं0–744/70–71 आदेश दिनांक– 16.10.78 के द्वारा कुल 10(दस) व्यक्तियों के साथ उसके सामने अंकित जमीन की बंदोवस्ती की गई है। जो निम्न है :–

क्र0	नाम	पिता का नाम	दाग नं0	रकवा वी0–क0–धूर	कुल रकवा
1	भग्गु रविदास	शिवचु रविदास	274 324 325	00–04–15 00–01–15 00–02–13	00–09–03
2	अगहन रविदास	शिवचु रविदास	274 325 274	00–04–15 00–01–15 00–02–13	00–09–03
3	रामदास रविदास	पाँचु रविदास	325	00–09–02	00–09–02
4	लालजी रविदास	बुटाय रविदास	325	00–09–02	00–09–02
5	दलंगी रविदास	नथन रविदास	325	00–09–02	00–09–02
6	सुकदेव रविदास	शिवचु रविदास	274	00–09–02	00–09–02
7	वहित रविदास	डोमन रविदास	325	00–09–02	00–09–02
8	रामचरण रविदास	नथन रविदास	325	00–09–02	00–09–02
9	फकीर रविदास	रमलु रविदास	325	00–09–02	00–09–02
10	भगली रविदास	जुठन रविदास	325	00–09–02	00–09–02

इस प्रकार बंदोवस्ती केश नं0–744/70–71 आदेश दिनांक–16.10.78 के द्वारा दाग नं0–274 के अंदर रकवा 01–01–05 धुर, दाग नं0–324 के अंदर रकवा 00–01–15 धुर एवं दाग नं0–325 के अंदर रकवा 03–08–08 धुर जमीन की बंदोवस्ती की गई है। साथ ही बंदोवस्ती केश नं0–19/84–85 आदेश दिनांक–27.10.85 के द्वारा दाग नं0–274 के अंदर रकवा 00–13–02 धुर जमीन की बंदोवस्ती श्रवण ततवा के साथ की गई है। जबकि दाग नं0–274 में रकवा 00–04–10 धुर, दाग नं0–324 में रकवा 01–00–01 धुर एवं दाग नं0–325 में रकवा 00–01–12 धुर जमीन है। इस प्रकार गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज उपरोक्त दाग नं0 की कुल रकवा से अधिक जमीन बंदोवस्ती की गई है और अधिक जमीन बंदोवस्ती होने के कारण बंदोवस्ती ही नियम संगत प्रतीत नहीं होता है और उस बंदोवस्ती के आधार पर की गई नापी प्रतिवेदन भी सही प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद नं0–109/2009–10 आदेश दिनांक–04.09.2012 नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के रा0वि0 वाद सं0–109/09–10 दिनांक–04.09.2012 को निरस्त किया जाता है। उत्तरवादी सं0–5 मनेश्वर ततवा के संबंध में अपीलकर्त्तागण का आपत्ति है कि वे सा0–धनोरा, थाना–सनोखर, जिला–भागलपुर(बिहार) के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बंदोवस्ती केश नं0–19/84–85 आदेश दिनांक–27.10.85 के द्वारा दाग नं0–274 के अंदर रकवा 00–13–02 धुर जमीन बंदोवस्ती प्राप्त करने का दावा किया गया है। परन्तु दाग नं0–274

की जमीन पूर्व में ही बंदोवस्ती केश नं0–744/70–71 के द्वारा बंदोवस्ती किया गया है। ऐसी स्थिति में बंदोवस्ती केश नं0–19/84–85 आदेश दिनांक–27.10.85 के द्वारा की गई बंदोवस्ती नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0–19/84–85 आदेश दिनांक–27.10.85 के द्वारा की गई बंदोवस्ती को रद्द किया जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा एवं अंचल अधिकारी, बसंतराय को दें। तदनुसार अंचल अधिकारी, बसंतराय पंजी–2 में सुधार करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

14/12/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

14/12/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

23/12/21

Seen
16/5/2022

Seen
20/12/2021

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:59:27 +05:30
Location: 192.168.29.8